रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022021-224942 CG-DL-E-04022021-224942

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59] No. 59] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2021/माघ 15, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 2021/MAGHA 15, 1942

#### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाश्ल्क बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली. 4 फरवरी 2021

# सं. 01/2021-केंद्रीय उत्पाद शुल्क(गै.टे)

सा.का.नि. 97(अ).—केंद्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2017 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड अधिसूचना सं.13/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे), दिनांक 9 जून, 2017, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), जिसे सा.का.नि. 566(अ), दिनांक 9 जून 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

# उपरोक्त अधिसूचना में

- (i) तालिका 1 में -
  - (क) क्रम सं. 7 के कॉलम 4 में, प्रविष्टि 7.4.2 और इससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा;
  - (ख) क्रम सं. 14 के कॉलम 4 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:-

738 GI/2021 (1)

(4)	
"14.4.1	आयुक्त (अपील II) मुम्बई
14.4.2	आयुक्त (अपील III) मुम्बई
14.4.3	आयुक्त (अपील) रायगढ़
14.4.4	आयुक्त (अपील) थाने";

## (ii) तालिका III में-

(क) क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)
"13	दिल्ली 1	उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली"

- (ख) क्रम सं. 14 और उससे सबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ग) क्रम सं. 31 और उससे सबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (घ) क्रम सं. 32 और उससे सबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:-

(1)	(2)	(3)
"32	मुम्बई II	पूर्वी मुम्बई, मुम्बई सेंट्रल, दक्षिणी मुम्बई".

[फा. सं. 137/10/2020-सेवा कर]

माजिद खान, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 09 जून 2017, को सा.का.नि 566(अ), दिनांक 09 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र,असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th February, 2021

### No. 01/2021-Central Excise (N.T.)

**G.S.R. 97(E).**—In pursuance of clause (b) of section 2 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and in exercise of the powers conferred by rule 3 of the Central Excise Rules, 2017, the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby makes the following amendments in the notification No. 13/2017-Central Excise (N.T.), dated the 9<sup>th</sup> June, 2017, the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R.566 (E), dated the 9<sup>th</sup> June, 2017, namely: -

In the said notification,-

(i) in Table I,-

(a) against the Sl.No. 7, in column (4), the entry 7.4.2 and its entry relating thereto, shall be omitted;

(b) against the Sl.No. 14, in column (4), for the entries, the following shall be substituted, namely:-

(4)	
"14.4.1	Commissioner (Appeals II) Mumbai
14.4.2	Commissioner (Appeals III) Mumbai
14.4.3	Commissioner (Appeals) Raigarh
14.4.4	Commissioner (Appeals) Thane";

- (ii) in Table III,-
  - (a) for Sl.No. 13 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

	(1)	(2)	(3)
-	"13	Delhi 1	Delhi North, Delhi East, Delhi South, Delhi West";

- (b) Sl.No. 14 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (c) Sl.No. 31 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (d) for Sl.No. 32 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"32	Mumbai II	Mumbai East, Mumbai Central, Mumbai South".

[F.No. 137/10/2020-Service Tax]

MAZID KHAN, Under Secy.

**Note**. The principal notification No. 13/2017-Central Excise, dated the 9th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 566 (E), dated the 9th June, 2017.